न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 361–एक/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–12–2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 79/02–03/अपील.

मोड़सिंह पिता हिम्मतसिंह राजपूत
निवासी ग्राम धामनोद
तहसील व जिला रतलाम .....आवेदक

विरूद्ध

मांगूसिंह पिता फतेहसिंह राजपूत
निवासी ग्राम धामनोद
तहसील व जिला रतलाम .....अनावेदक

श्री प्रदीप शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री ए0आर0 यादव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/8/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–12–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील न्यायालय के समक्ष संतोष दास द्वारा संहिता की धारा 131 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह अपनी भूमि सर्वे कमांक 1425 पर सर्वे कमांक 1418 में स्थित शासकीय कुंए से लगातार सिंचाई करता चला आ रहा था । उसके खेत में पानी जाने का रास्ता सर्वे कमांक 1419/2 व उसके पश्चात आवेदक की भूमि सर्वे कमांक 1419/1 से होकर जाता था, जिसे आवेदक द्वारा मिट्टी व मलवा डालकर बन्द कर दिया गया है, अतः पानी जाने का

रास्ता खुलवाया जाये । नायब तहसीलदार, टप्पा नामली द्वारा प्रकरण कमांक 7/अ–13/92–93 दर्ज कर दिनांक 30–6–99 को आदेश पारित किया जाकर रास्ता खोले जाने का आदेश दिया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, रतलाम (ग्रामीण) के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31–7–2000 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त, द्वारा दिनांक 6–12–2005 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश स्थिर रखे जाकर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ तर्क के दौरान उभय पक्ष की ओर से केवल यही कहा गया कि उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो गया है, जो कि प्रस्तुत किया जा चुका है, अतः राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाये ।

4/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा तर्क के दौरान बताया गया कि उभय पक्ष के मध्य समझौता हो गया है । अतः उभय पक्ष के मध्य समझौता हो जाने से रास्ते का कोई विवाद नहीं रह गया है, इसलिए समझौते के प्रकाश में प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर